उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

1931/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वादी एवम अनुपस्थित बार बार आवश्यक हिदायत के बावजूद भी नहीं आया। अतः वादी का वाद अनुपस्थिति कदम हाजरी में खारिज किया जाता है। वाद मिसल पत्रावली दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

19/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनु।
प्रार्थी इन्वेस्ट अनुसार अंत बार बार आवाज
दिलवाई गई कि प्रार्थी / वकील प्रार्थी कोई
उपस्थित नहीं। अतः अब पत्रावली प्रार्थना
पत्र आदेश पेश की आदेश तामील से व्यतिरिक्त
किया जाता है। वाद खारिज किया जाता
वाद रद्द रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)